तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
3/12/2024	प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त कथन इस प्रकार हैं कि ग्राम काछीपुरा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 74 के खसरा नंबर 1593 रकबा 1.24 है, खसरा नंबर 1594 रकबा 1.23 है0, खसरा नंबर 1604 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 1605 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 1606 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 1607 रकबा 0.34 है0, खाता संख्या 73 के खसरा नंबर 1600 रकबा 1.25 है0 व खसरा नंबर 1601 रकबा 1.25 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6.63 है0 एवं ग्राम टापुर की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 109 में खसरा नंबर 16 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 18 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 605 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 611 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 612 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 613 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 614 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 691 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 817 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 825 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 999 रकबा 1.65 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.93 है0 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक आराजीयात है। यह विवादित आराजी उनके पूर्वज देवीलाल के नाम थी, जिसका उनके जीवनकाल में ही लगभग 40 वर्ष पूर्व उन्होने अपने चारों पुत्रों के बीच में भौतिक रूप से बंटवारा कर दिया था एवं वर्तमान में उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा बाद में कुछ अप्रार्थीगणों से भूमि खरीद कर खसरा नंबर 1600 व 1601 अपने नाम दर्ज करवाई। बाद में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 से खसरा नंबर 1604 और खसरा नंबर 1601 के कुछ हिस्से का विनिमय किया गया। प्रार्थीगण द्वारा बंटवारे में कौनसा खसरा नंबर किसके हिस्से में आया एवं तदनुसार वर्तमान में कौन किस खसरे पर काबिज है, का उल्लेख करते हुए उसी अनुसार बंटवारे की प्रार्थना की है। अपने हिस्से में आई आराजी पर खेती कर सुधार करने और विशेषकर खसरा नंबर 1604 पर मकान बनाने, उस पर विधुत कनेक्शन और कुआं पर कृषि कनेक्शन लेने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात के 40 वर्ष पूर्व हुए बंटवारे एवं	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो ... तामील में ...
	कब्जे अनुसार रिकॉर्डेड बंटवारा हेतु वाद दायर किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में व्यवधान उत्पन्न करने के कारण अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न न करने और विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान एवं अन्तरण न करने हेतु पाबंद करने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 का कथन है कि विवादित आराजी संयुक्त रूप से ही काश्त की जा रही है। 40 वर्ष पूर्व हुए बंटवारे का आधार बनाकर प्रार्थीगण की अधिक उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने की मंशा बताई गई है। खसरा नंबर 1604 व 1601 के विनिमय को भी नकारा गया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी सहखातेदारों का प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होने के कारण प्रार्थीगण को पाबंद न करने एवं प्रार्थना पत्र खारिज करने की मांग की गई है। अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 14, 16, 17 की ओर से 40 वर्ष पूर्व बंटवारे अनुसार रिकॉर्डेड बंटवारा करने की प्रार्थना की गई है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 व 11 लगायत 14, 16, 17 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र/जवाब का दोहरान किया गया। मैंने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं, उन्हे विभाजन कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है, इस सीमा तक प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस पाया गया है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा 40 वर्ष के मौखिक बंटवारे अनुसार जिन विशिष्ट खसरों पर स्वयं का कब्जा बताया है, उसे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा नकारा गया है। कौन किस खसरे पर काबिज है, यह विवादित है एवं इसका निर्णय साक्ष्य विचारण पर ही होगा। इसलिए विशिष्ट खसरों को प्रार्थीगण के हिस्से में रखते हुए बंटवारा करने हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया केस नहीं पाया गया है। चूंकि उक्त भूमि सहखातेदारी की है, अतः सुविधा का संतुलन और	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म	डिक्री पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए

अपूरणीय क्षति के मामले में दोनों पक्ष समान है। परन्तु वाद बाहुल्यता रोकने के लिये एवं वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखने के लिए रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित है। साथ ही पक्के निर्माण में एक–दूसरे के हस्तक्षेप से भी वाद बाहुल्यता एवं विवाद बढ़ने की संभावना है। अतः उभयपक्षों को एक–दूसरे के पक्के निर्माण में हस्तक्षेप न करने हेतु पाबंद करना उचित है।

अतः उभयपक्षों को मूल वाद के फैसला होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ग्राम काछीपुरा की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 74 के खसरा नंबर 1593 रकबा 1.24 है, खसरा नंबर 1594 रकबा 1.23 है0, खसरा नंबर 1604 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 1605 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 1606 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 1607 रकबा 0.34 है0, खाता संख्या 73 के खसरा नंबर 1600 रकबा 1.25 है0 व खसरा नंबर 1601 रकबा 1.25 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 6.63 है0 एवं ग्राम टापुर की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या 109 में खसरा नंबर 16 रकबा 0.40 है0, खसरा नंबर 18 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 605 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 611 रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 612 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 613 रकबा 0.15 है0, खसरा नंबर 614 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 691 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 817 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 825 रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 999 रकबा 1.65 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.93 है0 का रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करें एवं एक–दूसरे के पक्के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं दावे के साथ संलग्न रहे।

खण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

खण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 16:02:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner